

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 27.06.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 51 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बलराम बरुआर पुत्र रामअचल नि० दुन्दापुर डिबरी कला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 160/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. माधवराम पुत्र स्व० निबरे नि० टेढिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 145/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. विश्वनाथ पुत्र स्व० महेश कुमार नि० राधेपुरवा थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 481/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. श्रीमती सीमा सोनकर पत्नी स्व० इन्द्रदेव सोनकर नि० भौरहा मौजा उजागरपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 188/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.06.2021

‘ऑपरेशन तमंचा’ अभियान में थाना परसपुर में अवैध तमंचे सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने ‘ऑपरेशन तमंचा’ अभियान के अन्तर्गत अवैध शस्त्र/कारतूस रखने वालो एवं इनका क्रय-विक्रय करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त भुल्लू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. भुल्लू पुत्र हरीराम नि0 कमियार थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 144/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 योगेश कुमार सिंह मय टीमा।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.06.2021

‘ऑपरेशन तमंचा’ अभियान में थाना को0नगर में अवैध तमंचे सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने ‘ऑपरेशन तमंचा’ अभियान के अन्तर्गत अवैध शस्त्र/कारतूस रखने वालो एवं इनका क्रय-विक्रय करने वालो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के कड़े निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0नगर पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त बृजेश कश्यप को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0नगर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बृजेश कश्यप पुत्र शिव प्रसाद नि0 मालवीय नगर थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 483/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 ज्ञानेश्वर नाथ पटेल मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.06.2021

थाना परसपुर द्वारा हत्या का वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत हत्या जैसे जघन्य अपराधों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना परसपुर को हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है।

दिनांक 21/22.06.2021 को थाना परसपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम विशुनपुर कला डीहा निवासी, भवानी प्रसाद मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में परिजनों द्वारा 02 व्यक्तियों- 01. दीपक पाण्डेय, 02. आशीष मिश्रा नि0गण विशुनपुर कला डीहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा पर हत्या का शक जताते हुए पोस्टमार्टम कराने की तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम में आयी चोटों के परिणाम स्वरूप पुलिस द्वारा हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 27.06.2021 को पुलिस ने हत्या में शामिल अभियुक्त- दीपक पाण्डेय पुत्र शिव प्रसाद पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ करने पर अभियुक्त दीपक पाण्डेय ने मृतक भवानी प्रसाद मिश्रा की पोती की शादी रुकवाने को लेकर अपने साथी अभियुक्त के साथ मिलकर मृतक भवानी प्रसाद की गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकार की है। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 142 / 21, धारा 302 भादवि0 थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दीपक पाण्डेय पुत्र शिव प्रसाद पाण्डेय नि0 विशुनपुर कला डीहा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह थाना परसपुर जनपद गोण्डा मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.06.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 27.06.2021 को थाना करनैलगंज के उ०नि० महिमानाथ उपाध्याय मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में खाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त लेदरे को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 400 अल्प्राजोलम की अवैध नशीली गोलियाँ बरामद हुईं। अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. लेदरे पुत्र झब्बार नि० साईपुरवा बालपुर बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 238/21, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 400 अवैध नशीली गोलियाँ (अल्प्राजोलम) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० महिमानाथ उपाध्याय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.06.2021

मारपीट करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0देहात पुलिस ने मु0अ0सं0- 204/21, धारा 323,326,452,504,506,34 भादवि0 से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों- 01. रामप्रकाश, 02. उदय नरायन को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. राम प्रकाश पुत्र कृष्ण नरायन नि0 पिपरापदुम शुकलन हाता थाना को0देहात जनपद गोण्डा।
02. उदय नरायन पुत्र कृष्ण नरायन नि0 पिपरापदुम शुकलन हाता थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-204/21, धारा 323,326,452,504,506,34 भादवि0 थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 विजय प्रकाश यादव मय टीम।